राजस्व लोक अदालत केम्प भगवानपुरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 127/2018 2018/01439

वादीगण :– 1 घेवरराम पुत्र सवाराम कुम्हार सा0 चिलानाडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. देवाराम पुत्र शेराराम, ताराराम पुत्र सवाराम कुम्हार सा. चिलानाडी

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भगवानपुरा में प्रस्तुत की गई

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम चिलानाडी के खसरा न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादी के पिता का म्यूटेशन भरते समय लिपिकीय त्रुटि से नाम घेवरराम के स्थान पर गेपरराम दर्ज हो गया है, जो अशुद्व नाम है। जबकि सरकारी दस्तावेज मे सही नाम घेवरराम है। अतः अशुद्व नाम गेपरराम की जगह शुद्व नाम घेवरराम करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी, ब्यानकर्ता घवेरराम, ताराराम व पटवारी चिलानाडी/आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम चिलानाडी के ख0न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादी का नाम गेपरराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में घेवरराम दर्ज है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम चिलानाडी के ख0न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादी का नाम गेपरराम के स्थान पर घेवरराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......भगवानपुरा

Scanned by CamScanner